

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं० 367] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 19, 1983/भाद्र 28, 1905
[No. 367] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 19, 1983/BHADRA 28, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

परिवर्ण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1983

सांकायिक 731 (अ).—केंद्रीय सरकार वन्य प्राणी (संरक्षण) अधि-
नियम, 1972 (1972 का 53) के धारा 63 का उपधारा (1) के खण्ड
(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिक्किम वन्य प्राणी (संरक्षण
और चर्मपूर्ण) नियम, 1976 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम
बनाती है, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिकिम वन्य प्राणी (संव्यवहार और चर्मपूर्ण) संशोधन नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाश की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. सिकिम वन्य प्राणी (संव्यवहार और चर्मपूर्ण) नियम, 1976 के नियम 4 के उपसर्ग (1) में, “तीस दिन” शब्दों के स्थान पर, “तीस दिनों” शब्द रखे जाएंगे।

[म० 1-11/79-एफ आर बाई (डब्ल्यू एल) (XX)]

समर सिंह, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 1983

G.S.R. 731(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Sikkim Wild Life (Transactions and Taxidermy) Rules, 1976, namely : —

1. (1) These rules may be called the Wild Life (Transactions and Taxidermy) Amendment Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-rule (1) of rule 4 of the Sikkim Wild Life (Transactions and Taxidermy) Rules, 1976, for the words “seven days”, the words “thirty days” shall be substituted.

[No. 1-11/79-FRY(WL)(XX)]

SAMAR SINGH, Jt. Secy.